संख्या-308 /2025/41-2-2025/03(सा0)/2025-CN-1894113

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 09 जून , 2025**

विषयः-उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025 जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-307/2025/1331/41-2-2025/03 (सा0)/2025-CN-1894113, दिनांक 09.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025 निर्गत किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 09.06.2025 को निरस्त किया जाता है।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में संचालित होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को उत्तर प्रदेश की होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति न होने के कारण पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित निधि प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कर प्लेज एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा मात्र प्रथमदृष्टया सत्यापन किया जाता है, जिस हेतु स्पष्ट नियमावली उपलब्ध न होने के कारण इकाइयों की अनुमन्यता निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु यह होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति-2025 निर्गत की जा रही है।

3- प्रदेश में स्थापित अनुमन्य होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को इस नीति में सम्बन्धित स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्राप्त करते हुए नियमानुसार संचालन किये जाने की व्यवस्था का सरलीकरण किये जाने के लिए होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति-2025 तैयार की गई है, जिसमें अनुमन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

4- उ0प्र0 होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) नीति 2025 सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि करके पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। इसके द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, आय और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, साथ ही प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले आगंतुकों के लिए एक समृद्ध और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने में सहायक होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025 जारी किये जाने के संबंध में दिनांक 03.06.2025 को सम्पन्न मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् हैं:-

(1) शीर्षक- इस नीति का शीर्षक "उ0प्र0 होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) नीति 2025" है।

(2) प्रभावी अवधि- यह नीति शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की तिथि से प्रभावी होगी। इस नीति के लागू होने के उपरान्त प्रदेश के सभी होमस्टे/बी एण्ड बी/रूरल होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को इस नीति में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित इकाइयों को नीति जारी होने के दिनांक से पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने हेतु **01** वर्ष/**12** माह का समय प्रदान किया जाएगा, जिसके उपरान्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी।

यह नीति उ**0**प्र**0** पर्यटन नीति **2022** में होमस्टे/बी0 एण्ड बी0 योजना में वर्णित व्यवस्थाओं तथा अन्य लाभों को उपलब्ध कराये जाने हेतु बनाई गई है।

(3) इकाई की परिभाषा-

3.1) होमस्टे- यह इकाई शहरी परिक्षेत्र में विशुद्धतः आवासीय इकाई होगी तथा उसके स्वामी का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा, जिसकी संख्या कम से कम **01** तथा अधिकतम **06** (अधिकतम **12** शैय्या) होगी।

3.2) बी एण्ड बी- शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु इकाई स्वामी द्वारा इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाएगा। इकाई में केयरटेकर का निवास करना अनिवार्य होगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा, जिसकी संख्या कम से कम **01** तथा अधिकतम **06** (अधिकतम **12** शैय्या) होगी। **06** कक्षों से अधिक भवनों यथा होटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि को इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

3.3) रूरल होमस्टे- यह योजना उ**0**प्र**0** के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर लागू होगी। देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान कराये जाने हेतु इकाई स्वामी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाएगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के कम से कम **01** तथा अधिकतम **06** (अधिकतम **12** शैय्या) को ही किराये पर दिया जा सकेगा। 'रूरल होमस्टे' में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शहरी क्षेत्र(नगर निगम की परिधि) के बाहर आने वाली इकाइयों द्वारा ही इस वर्ग के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) पंजीकरण-

आवेदकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल (**up-tourismportal.in**) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1) पंजीयन के आवेदन हेतु नियम व शर्तें-

4.1.1 इकाई में न्यूनतम **01** तथा अधिकतम **06** कक्ष (**12** शैय्या) पर्यटकों/अतिथियों हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे।

4.1.2 होमस्टे/रूरल होमस्टे के आवेदन हेतु भवन स्वामी (आवेदक) का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा।

4.1.3 एक परिसर में स्थित आवेदक इकाई/सम्पत्तिधारक को उक्त नीति के अंतर्गत एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र देय होगा।

4.1.4 आवेदक इकाई द्वारा पर्यटकों के सुरक्षा के दृष्टिगत न्यूनतम **03** सी**0**सी**0**टी**0**वी**0** कैमरा (**90** दिवसों की वीडियो रिकार्डिंग सुविधा के साथ) तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4.1.5 इस नीति में पंजीयन हेतु समस्त आवेदन पर्यटन निदेशालय, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे तथा विभाग द्वारा पंजीकृत आवेदक इकाई को ही नीति के लाभ नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

4.1.6 आवेदक द्वारा पंजीयन हेतु अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि), इकाई के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य, सेल्फ डिक्लरेशन एफिडेविट, संबंधित क्षेत्र के पुलिस विभाग एवं नगर निगम/नगर पालिका/जिला पंचायत/ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किये जायेंगे।

4.1.7 होमस्टे चलाने वाले संचालकों को आगन्तुकों के परिचय के संबंध में अभिलेख प्राप्त कर उसे स्थायी रजिस्टर में इन्द्राज करना अनिवार्य होगा।

4.2) पंजीयन की प्रक्रिया-

4.2.1 पर्यटन विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाएगी तथा उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धी जनपद कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर दिया जाएगा।

4.2.2 जनपद कार्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से इकाई का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण किया जाएगा तथा आवेदित श्रेणी में इकाई के पंजीयन किये जाने हेतु अपनी आख्या पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2.3 जनपद स्तर पर इकाई के पंजीयन हेतु परीक्षण/निरीक्षण, आवधिक निरीक्षण तथा सब्सिडी की अनुशंसा के लिए सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	विवरण	
1	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (गृह विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	सम्बन्धित जोन के कर अधीक्षक (नगर निगम/नगर पालिका) अथवा ग्रामीण परिक्षेत्र हेतु जिला पंचायत/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
4	जिला अग्निशमन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	जनपद में तैनात पर्यटन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी (जैसी स्थिति हो)	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

इस नीति के अंतर्गत जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार समिति में अतिरिक्त 03 सदस्य सम्मिलित किये जा सकेंगे। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पर पंजीयन हेतु अपनी संस्तुति/आख्या 90 दिवसों में पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2.4 निर्गत किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 03 वर्ष के लिये वैध होगा।

4.3) पंजीयन हेतु शुल्क/फीस-

इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदकों को अप्रतिदेय शुल्क (**Non-Refundable Fees**) के रूप में निम्न विवरणानुसार धनराशि आवेदन फार्म के साथ जमा करनी होगी-

क्रम सं0	वर्ग	आवेदन शुल्क (रूपये में)	
		होमस्टे/बी0एण्ड0बी	रूरल होमस्टे
1	सिल्वर	2000/-	500/-
2	गोल्ड	3000/-	750/-

आवेदकों द्वारा यह धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जमा कराई जायेगी। इस नीति में आवेदन शुल्क के परिवर्तन तथा अन्य शुल्क के अधिरोपण/निर्धारण हेतु महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 अधिकृत होंगे।

4.4) पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण-

पंजीकरण की प्रभावी अवधि समाप्त होने के 03 माह पूर्व आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण (Renewal) हेतु आवेदन पर्यटन निदेशालय को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा।

4.5) पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण-

नीति में वर्णित प्राविधानों का पालन न करने अथवा पर्यटकों की सुरक्षा/सुविधाओं हेतु निर्धारित मापदडों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिकूल आख्या के क्रम में इकाई का पंजीकरण स्वतः निरस्त होगा।

(5) नीति के अन्तर्गत इकाइयों को प्राप्त होने वाले लाभ, अनुदान तथा सहयोग-

5.1) पंजीकृत इकाईयां पूर्णतः आवासीय इकाई हैं। अतः इन इकाईयों से बिजली, जल कर, सीवर कर, गृह कर एवं अन्य वैधानिक कर घरेलू दरों पर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. 2) इकाइयों के सुचारू रूप से संचालन तथा कौशल विकास सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से मा0 कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ (एम0के0आई0टी0एम0) के माध्यम से इकाईयों के अधिकतम 08 कार्मिकों को वन-टाइम मुफ्त प्रशिक्षण (आवास एवं खान-पान सुविधा सहित) प्रदान किया जायेगा।

5. 3) आवासीय इकाईयों के छत पर सोलर प्लान्ट लगाये जाने हेतु प्रधानमंत्री सूर्यगृह मुफ्त विद्युत योजना (यू0पी0एन0ई0डी0ए0 द्वारा निर्गत गाईडलाइन्स) के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों द्वारा नियमानुसार लाभ प्राप्त किये जा सकेंगे।

5. 4) पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत पंजीकृत आवासीय इकाई द्वारा न्यूनतम 03 सी0सी0टी0वी0 कैमरा (90 दिवसों की वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा के साथ) तथा आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाये जाने की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर की जायेगी।

5. 5) पंजीकृत आवासीय इकाई में आरक्षण एक बार में 07 दिवसों से अधिक अवधि का नहीं होगा। इसे ससमय बढ़ाया जा सकता है।

5. 6) पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत होमस्टे/रूरल होमस्टे व बी0 एण्ड बी0 का विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(6) इस नीति के अंतर्गत वर्णित व्यवस्था, लाभ, अनुदान एवं सहयोग आदि के निर्धारण/ पुनरीक्षण/ संशोधन/ निर्गमन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश/गाइडलाइन्स पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत की जा सकेगी।

कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

9/06/25

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

<u>**संख्या व दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   न्याय विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग/राजस्व विभाग/गृह विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-308 /2025/41-2-2025/03(सा0)/2025-CN-1894113

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 09 जून , 2025**

विषय:-उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025 जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-307/2025/1331/41-2-2025/03 (सा0)/2025-CN-1894113, दिनांक 09.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025 निर्गत किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 09.06.2025 को निरस्त किया जाता है।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में संचालित होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को उत्तर प्रदेश की होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति न होने के कारण पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित निधि प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कर प्लेज एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा मात्र प्रथमदृष्टया सत्यापन किया जाता है, जिस हेतु स्पष्ट नियमावली उपलब्ध न होने के कारण इकाइयों की अनुमन्यता निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु यह होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति-2025 निर्गत की जा रही है।

3- प्रदेश में स्थापित अनुमन्य होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को इस नीति में सम्बन्धित स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्राप्त करते हुए नियमानुसार संचालन किये जाने की व्यवस्था का सरलीकरण किये जाने के लिए होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति-2025 तैयार की गई है, जिसमें अनुमन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

4- उ0प्र0 होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) नीति 2025 सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि करके पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। इसके द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, आय और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, साथ ही प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले आगंतुकों के लिए एक समृद्ध और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने में सहायक होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025 जारी किये जाने के संबंध में दिनांक 03.06.2025 को सम्पन्न मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् हैं:-

(1) शीर्षक- इस नीति का शीर्षक "उ0प्र0 होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) नीति 2025" है।

(2) प्रभावी अवधि- यह नीति शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की तिथि से प्रभावी होगी। इस नीति के लागू होने के उपरान्त प्रदेश के सभी होमस्टे/बी एण्ड बी/रूरल होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को इस नीति में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित इकाइयों को नीति जारी होने के दिनांक से पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने हेतु **01** वर्ष/**12** माह का समय प्रदान किया जाएगा, जिसके उपरान्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी।

यह नीति उ**0**प्र**0** पर्यटन नीति **2022** में होमस्टे/बी0 एण्ड बी0 योजना में वर्णित व्यवस्थाओं तथा अन्य लाभों को उपलब्ध कराये जाने हेतु बनाई गई है।

(3) इकाई की परिभाषा-

3.1) होमस्टे- यह इकाई शहरी परिक्षेत्र में विशुद्धतः आवासीय इकाई होगी तथा उसके स्वामी का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा, जिसकी संख्या कम से कम **01** तथा अधिकतम **06** (अधिकतम **12** शैय्या) होगी।

3.2) बी एण्ड बी- शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु इकाई स्वामी द्वारा इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाएगा। इकाई में केयरटेकर का निवास करना अनिवार्य होगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा, जिसकी संख्या कम से कम **01** तथा अधिकतम **06** (अधिकतम **12** शैय्या) होगी। **06** कक्षों से अधिक भवनों यथा होटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि को इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

3.3) रूरल होमस्टे- यह योजना उ**0**प्र**0** के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर लागू होगी। देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान कराये जाने हेतु इकाई स्वामी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाएगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के कम से कम **01** तथा अधिकतम **06** (अधिकतम **12** शैय्या) को ही किराये पर दिया जा सकेगा। 'रूरल होमस्टे' में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शहरी क्षेत्र(नगर निगम की परिधि) के बाहर आने वाली इकाइयों द्वारा ही इस वर्ग के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) पंजीकरण-

आवेदकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल (**up-tourismportal.in**) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1) पंजीयन के आवेदन हेतु नियम व शर्तें-

4.1.1 इकाई में न्यूनतम **01** तथा अधिकतम **06** कक्ष (**12** शैय्या) पर्यटकों/अतिथियों हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे।

4.1.2 होमस्टे/रूरल होमस्टे के आवेदन हेतु भवन स्वामी (आवेदक) का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा।

4.1.3 एक परिसर में स्थित आवेदक इकाई/सम्पत्तिधारक को उक्त नीति के अंतर्गत एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र देय होगा।

4.1.4 आवेदक इकाई द्वारा पर्यटकों के सुरक्षा के दृष्टिगत न्यूनतम **03** सी**0**सी**0**टी**0**वी**0** कैमरा (**90** दिवसों की वीडियो रिकार्डिंग सुविधा के साथ) तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4.1.5 इस नीति में पंजीयन हेतु समस्त आवेदन पर्यटन निदेशालय, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे तथा विभाग द्वारा पंजीकृत आवेदक इकाई को ही नीति के लाभ नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

4.1.6 आवेदक द्वारा पंजीयन हेतु अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि), इकाई के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य, सेल्फ डिक्लरेशन एफिडेविट, संबंधित क्षेत्र के पुलिस विभाग एवं नगर निगम/नगर पालिका/जिला पंचायत/ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किये जायेंगे।

4.1.7 होमस्टे चलाने वाले संचालकों को आगन्तुकों के परिचय के संबंध में अभिलेख प्राप्त कर उसे स्थायी रजिस्टर में इन्द्राज करना अनिवार्य होगा।

4.2) पंजीयन की प्रक्रिया-

4.2.1 पर्यटन विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाएगी तथा उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धी जनपद कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर दिया जाएगा।

4.2.2 जनपद कार्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से इकाई का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण किया जाएगा तथा आवेदित श्रेणी में इकाई के पंजीयन किये जाने हेतु अपनी आख्या पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2.3 जनपद स्तर पर इकाई के पंजीयन हेतु परीक्षण/निरीक्षण, आवधिक निरीक्षण तथा सब्सिडी की अनुशंसा के लिए सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	विवरण	
1	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (गृह विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	सम्बन्धित जोन के कर अधीक्षक (नगर निगम/नगर पालिका) अथवा ग्रामीण परिक्षेत्र हेतु जिला पंचायत/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
4	जिला अग्निशमन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	जनपद में तैनात पर्यटन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी (जैसी स्थिति हो)	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

इस नीति के अंतर्गत जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार समिति में अतिरिक्त 03 सदस्य सम्मिलित किये जा सकेंगे। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पर पंजीयन हेतु अपनी संस्तुति/आख्या 90 दिवसों में पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2.4 निर्गत किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 03 वर्ष के लिये वैध होगा।

4.3) पंजीयन हेतु शुल्क/फीस-

इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदकों को अप्रतिदेय शुल्क (**Non-Refundable Fees**) के रूप में निम्न विवरणानुसार धनराशि आवेदन फार्म के साथ जमा करनी होगी-

क्रम सं0	**वर्ग**	**आवेदन शुल्क (रूपये में)**	
		होमस्टे/बी0एण्ड0बी	**रूरल होमस्टे**
1	सिल्वर	2000/-	500/-
2	गोल्ड	3000/-	750/-

आवेदकों द्वारा यह धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जमा कराई जायेगी। इस नीति में आवेदन शुल्क के परिवर्तन तथा अन्य शुल्क के अधिरोपण/निर्धारण हेतु महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 अधिकृत होंगे।

4.4) पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण-

पंजीकरण की प्रभावी अवधि समाप्त होने के 03 माह पूर्व आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण (Renewal) हेतु आवेदन पर्यटन निदेशालय को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा।

4.5) पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण-

नीति में वर्णित प्राविधानों का पालन न करने अथवा पर्यटकों की सुरक्षा/सुविधाओं हेतु निर्धारित मापदडों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिकूल आख्या के क्रम में इकाई का पंजीकरण स्वतः निरस्त होगा।

(5) नीति के अन्तर्गत इकाइयों को प्राप्त होने वाले लाभ, अनुदान तथा सहयोग-

5.1) पंजीकृत इकाईयां पूर्णतः आवासीय इकाई हैं। अतः इन इकाईयों से बिजली, जल कर, सीवर कर, गृह कर एवं अन्य वैधानिक कर घरेलू दरों पर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5.2) इकाइयों के सुचारू रूप से संचालन तथा कौशल विकास सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से मा0 कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ (एम0के0आई0टी0एम0) के माध्यम से इकाईयों के अधिकतम 08 कार्मिकों को वन-टाइम मुफ्त प्रशिक्षण (आवास एवं खान-पान सुविधा सहित) प्रदान किया जायेगा।

5.3) आवासीय इकाईयों के छत पर सोलर प्लान्ट लगाये जाने हेतु प्रधानमंत्री सूर्यगृह मुफ्त विद्युत योजना (यू0पी0एन0ई0डी0ए0 द्वारा निर्गत गाईडलाइन्स) के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों द्वारा नियमानुसार लाभ प्राप्त किये जा सकेंगे।

5.4) पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत पंजीकृत आवासीय इकाई द्वारा न्यूनतम 03 सी0सी0टी0वी0 कैमरा (90 दिवसों की वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा के साथ) तथा आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्वयं के व्यय पर लगाया जायेगा।

5.5) पंजीकृत आवासीय इकाई में आरक्षण एक बार में 07 दिवसों से अधिक अवधि का नहीं होगा। इसे ससमय बढ़ाया जा सकता है।

5.6) पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत होमस्टे/रूरल होमस्टे व बी0 एण्ड बी0 का विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(6) इस नीति के अंतर्गत वर्णित व्यवस्था, लाभ, अनुदान एवं सहयोग आदि के निर्धारण/ पुनरीक्षण/ संशोधन/ निर्गमन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश/गाइडलाइन्स पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत की जा सकेगी।

कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग/राजस्व विभाग/गृह विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।